माँ बाप और स्टूडेंट्स की जिम्मेदारियां। क्लास के कायदा कानून

- १) अपने बच्चे का होमवर्क रोजाना चेक करना और बच्चे से करवाकर लेना।
- २) इस बात का ख़याल रखे के आप का बच्चा रोजाना ३ से ४ घंटे पढ़ाई कर रहा है. (यह ९वी और १०वी के बच्चो के लिए बहोत जरुरी है)
- 3) पढ़ाई के लिए सही वक्त नहीं दे पाया तो बच्चा कमजोर रह जाएगा. जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वालेदैन जिम्मेदार रहेंगे. मैनेजमेंट/टीचर नहीं।
- ४) अगर किसी बीमारी या अहम् वजह से बच्चा क्लास को छुट्टी करे तो क्लास को इत्तला करना यह वालेदैन की जिम्मेदारी रहेगी। (बीमार बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट पेशा करना जरुरी है.)
- ५) वालेदैन इस बात का खयाल रखे के बच्चा दूसरे बच्चो को डिस्टर्ब या नुकसान पहुँचाने वाली हरकत न करे या ऐसी कोई भी चीज क्लास में न लायेगा।
- ६) बच्चे का क्लास के सभी तालीमी कैंपेन, १५ ऑगस्ट, २६ जनवरी और दीगर प्रोग्राम में शामिल होना ये जरुरी है. कोई वजह या बहाना नहीं चलेगा।
- ७) टीचर्स या मैनेजमेंट अगर वालेदैन को मुलाकात के लिए बुलाये तो वालेदैन इसे अपनी अहम जिम्मेदारी समज कर मिलेंगे। यह जरुरी है.
- ८) बगैर इजाजत या बिना वजह गैर हजर रहने पर बच्चे का नाम क्लास से काम किया जा सकता है. जिसके लिए वालेदैन जिम्मेदार रहेंगे।
- ९) अगर वालेदैन को क्लास की कोई शिकायत हो तो वो मैनेजमेंट से आकर मुलाकात करेंगे। वालेदैन किसी भी बच्चे या टीचर से बहस नहीं करेंगे
- १०) बच्चा वक्त पर क्लास आये और उसे वक्त पर लेजाने की जिम्मेदारी वालेदैन की होगी.
- ११) क्लास के बिच बच्चा अगर कोई गलत काम करता है या कोई हादसा होता है तो इस के लिए शिक्षण हक्क डेवलोपमेन्ट रिसर्च & प्रमोशन मंच/मस्जिद/ मदरसा या अंजुमन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता.
- १२) वालेदैन इस बात की फिक्र ले के बच्चा क्लास के या मस्जिद/मदरसा/अंजुमन के किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुचायेगा। क्लास के माहौल को हमेशा से बनाये रखेगा. ऐसे हालत में बच्चे से किसी भी किसम के नुकसान हो तो वालेदैन और बच्चा जिम्मेदार रहेंगे। क्लास/मदरसा/अंजुमन जिम्मेदार नहीं रहेंगे.
- १३) वालेदैन बच्चे को (लड़का लड़की दोनों को) अपने जिम्मेदारी पर क्लास छोड़ेगे और जिम्मेदारी से वक्त पर साथ लेजायेंगे।

में/हम	पता
	अपने
जिम्मेदारी पर हमारा लड़का/लड़की	, का नाम मुफ्त ट्यूशन
में, जमात/स्टैण्डर्ड में दर्ज कर	रहे है. हमें पता है के यह क्लास हमारे बच्चो की तालीमी फिकरे
लेकर तालीम के मैदान में आगे बढ़ने में	मदत करती है. क्लास के कायदे कानून हमने पढ़े है और वह हमें
समजाये भी गए है. उन पर अमल करना	हमारी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी रहेगी. हमारा बच्चा अगर
डिसिप्लिन के खिलाफ कोई बरताव करेग	ा, या क्लास/मदरसा/अंजुमन या किसी बच्चे को किसी भी किसम
का नुकसान पहुँचता है तो इस की जि	म्मेदारी हमारी रहेगी. हम शिक्षण हक्क डेवलोपमेन्ट रिसर्च &
प्रोमोशन मंच, मस्जिद, मदरसे को जिम्मे	दार नहीं ठहराएंगे।
दस्तखत	दस्तखत
वालेदैन का नाम	वालेदैन का नाम